HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: BENCH AT INDORE

FORM –'D'

REJECTION ORDER

(See Rule 4(2))

No.RTIA/JR(M)-HCIND/ 2025 **Indore, Dated 01.10.2021**

प्रेषक :

ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम),
राज्य लोक सूचना अधिकारी,
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,
खण्डपीठ, इन्दौर

प्रति,

श्रीमती टीना उर्फ सुष्मिता उपाध्याय
पिता श्री मुरलीधर जोशी,
पता :– 60/5, न्यु देवास रोड़,
राजकुमार ब्रिज के पास,
इन्दौर (म.प्र)
मो.नं.–8602829325

विषयः– आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में प्रस्तुत सूचना प्राप्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन आई॰डी॰क्रमांक 19/2021–2022 दि.14.09.2021 के निरस्तीकरण बाबद्।

उपरोक्त विषय में आपके द्वारा प्रस्तुत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 आवेदन–पत्र दिनांक 12/09/2021 जिसे आई॰डी॰क्रमांक 19/2021–2022 पर दिनांक 14/09/2021 को पंजीकृत किया गया था एवं जिसके द्वारा आपने श्री खेमराज जोशी, निजी सहायक, म.प्र.उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर से संबंधित जानकारी की **"श्री खेमराज पिता नवलराम जोशी रीडर उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर की नियुक्ति उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर में किस दिनांक वर्ष को किस पर हुई थी तथा नियुक्ति के समय इनकी उम्र एवं शैक्षणिक योग्यता क्या थी तथा इनकी सहायक ग्रेड–03 (बाबु) के पद पर पदोन्नति किस दिनांक वर्ष को हुई, तथा उस समय इनकी शैक्षणिक योग्यता एवं इनकी अन्य अर्हता क्या थी तथा इनकी स्टेनोग्राफर के पद पर पदोन्नति किस वर्ष दिनांक को हुई। जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें, चाही गयी जानकारी 2006 से 2021 तक की अवधि की है"** मांगी थी।

चूँकि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1) (जे) व धारा 11 के अनुसार उपरोक्त जानकारी श्री खेमराज जोशी की व्यक्तिगत सूचना से सम्बन्धित प्रतीत होने व जिसके प्रकट करने का किसी लोक क्रियाकलाप या हित से सम्बन्ध प्रतीत नहीं होने से श्री खेमराज जोशी को इस तथ्य की लिखित रूप में सूचना देना व उन्हें प्रस्तावित प्रकटन के विरूद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाने हेतु श्री खेमराज जोशी को सूचना–पत्र जारी किया गया था व उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे दिनाँक 21/09/2021 को या इसके पूर्व व्यक्तिगत रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर या तो उनसे संबंधित उपरोक्त व्यक्तिगत जानकारी आप श्रीमती टीना उर्फ सुष्मिता उपाध्याय को देने बाबद अनापत्ति प्रस्तुत करे या प्रस्तावित प्रकटन के विरूद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करे जिसके पालन में श्री खेमराज जोशी ने म.प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर के आवक क्रमांक 1650 दिनांक 20/09/2021 लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हुए उनसे संबंधित व्यक्तिगत सूचना जो कि उनकी व्यक्तिगत जानकारी हैं उसे आप श्रीमती टीना उर्फ सुष्मिता उपाध्याय को प्रदाय किये जाने हेतु श्री खेमराज जोशी, निजी सहायक म.प्र. उच्च

निरन्तर...2 पर

01.10.21
J.R.(M)

न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर की असहमति है। तत्पश्चात् सूचना के अधिकार, 2005 में वर्णित निर्देशों का पालन करते हुए आप श्रीमती टीना को सूचना पत्र क्र. 1953 दि. 20.09.2021 जारी किया गया एवं श्री खेमराज जोशी द्वारा दिनाँक– 20/09/2021 को लिखित रूप से उनकी निजी जानकारी की असहमति के संबंध में बताया गया व उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित अभ्यावेदन व आपत्ति की प्रतिलिपि प्रदान कर अवसर दिया गया तथा आपको दिनाँक–27/09/2021 तक समय इस निर्देश के साथ दिया गया था कि आप श्री खेमराज जोशी से संबंधित उनकी निजी व गोपनीय जानकारी जो कि व्यापक लोकहित में भी प्रतीत नहीं होती है, क्यों चाहती है इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर बताए व लिखित में जवाब प्रस्तुत करे एवं ऐसा नहीं करते हैं तो मामलें में एकपक्षीय कार्यवाही की जा सकेगी।

उपरोक्त सूचनापत्र के पालन में आप श्रीमती टीना ने दिनांक 27/09/2021 को एक लिखित पत्र (आवक नं 1726 दिनांक 27/09/2021) प्रस्तुत किया तथा उसमें वर्णित किया कि मेरे द्वारा दिनांक 29/07/2021 के पत्र के द्वारा इनके खिलाफ जाँच करत कार्यवाही एवं इनकी नियुक्तियाँ किन नियमों के अन्तर्गत हुई है। निवेदन किया गया था, लेकिन म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। महोदय, श्री जोशी की नियुक्ति से म.प्र. एवं इन्दौर के कई पात्र बेरोजगार लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है और उक्त जानकारी भी जनहित में है। अतः उक्त जानकारी मुझे प्रदाय करने का कष्ट करें। आप श्रीमती टीना के लिखित अभ्यावेदन में वर्णित अनुसार व्यापक जनहित नहीं बताया गया हैं, अतः श्री खेमराज जोशी निजी सहायक, म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर द्वारा प्रस्तुत लिखित अभ्यावेदन व आपत्ति को ध्यान में रखते हुए सूचना के अधिकार के तहत तथा आपके द्वारा चाही गई जानकारी व्यापक लोकहित में प्रतीत नहीं होने से आपका सूचना के अधिकार से संबंधित उपरोक्त वर्णित आवेदन निरस्त किया जाता हैं।

आपको यह भी सूचित किया जाता हैं कि आप इस विनिश्चय के विरूध्द आदेश जारी होने के 30 दिवस के अन्दर प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, अपीलीय अधिकारी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के हकदार हैं ।

01.10.21

(राजेश कुमार शर्मा)
लोक सूचना अधिकारी सह ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम),
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर